***न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर***

**अपील/सीलिंग/2192/2003/गंगानगर**

पूर्णसिंह पुत्र महणासिंह (फौत) जरिये वारिसान
1 बूटासिंह पुत्र पूर्णसिंह
2 परमजीतसिंह पुत्र पूर्णसिंह
3 श्रीमती गुरमेजकौर पत्नी पूर्णसिंह
4 श्रीमती चनन कौर पत्नी पूर्णसिंह सभी जाति जटसिख निवासी 9 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर
5 सिमरजीत कौर पुत्री पूर्णसिंह पत्नी मितपालसिंह जाति जटसिख निवासी चक 34 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर
6 बलविन्द्र कौर पुत्री पूर्णसिंह पत्नी महताबसिंह जाति जटसिख निवासी चक 28 एच. तहसील श्रीकरणपुर

अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार

प्रत्यर्थी

**एकल पीठ**
**श्री मोडूदान देथा, सदस्य**

उपस्थितः श्री एस.एस.मीणा वकील अपीलार्थीगण
श्री शि प्रकाश चौधरी उप राजकीय अभिभाषक

**निर्णय**

**दिनांकः30.8.18**

यह अपील धारा 23(ए) राजस्थान कृषि जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 (संक्षेप में नया सीलिंग कानून) के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 15/97 में पारित निर्णय दिनांक 1.5.03 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्राधिकृत अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने असेसी मृतक पूर्णसिंह अपीलार्थी के विरूद्ध नये सीलिंग कानून के अन्तर्गत कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 6.123.73 से कार्यवाही समाप्त कर दी। राज्य सरकार के उप शासन सचिव, राजस्व (सीलिंग) ग्रुप–8 विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.1(298)राज/सी/78/341 दिनांक 17.6.82 आदेश दिनांक 1.6.82 से प्रकरण को नये सीलिंग कानून की धारा

15(2) के अन्तर्गत पुनः खोले जाने का आदेश दिया। अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर ने निर्णय दिनांक 24.10.96 से असेसी के पास 20 बीधा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक मानते हुए अधिग्रहण करने का आदेश दिया। इ सके विरूद्ध असेसी अपीलार्थी मृतक पूर्णसिंह ने राजस्व मण्डल में अपील प्रस्तुत की। अपील संख्या 130/96 निर्णय दिनांक 1.8.97 से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने पुनः कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 1. 5.2003 से असेसी के पास 28.18 बीघा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक मानते हुए अधिग्रहण का आदेश दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित आराजीयात पैतृक सम्पति है जिसमें पूर्णसिंह के सभी पुत्र, पुत्रियों का नोशनल शेयर है। असेसी पूर्णसिंह का पुत्र बूटासिंह निर्धारित तिथि 1.1.73 बालिग था। प्रस्तुत जन्म प्रमाण पत्र व शपथ पत्र का किसी भी साक्ष्य से खण्डन नहीं किया गया है। भू अभिलेख निरीक्षक, जैतसर द्वारा तैयार की गई एवं तहसीलदार, अनूपगढ द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट के अनुसार भी निर्धारित तिथि 1. 1.73 को बूटासिंह बालिग था जो एक अलग ईकाई रखने का अधिकारी है। असेसी पूर्णसिंह की दोनों पत्नियों एवं पुत्र द्वारा धारित भूमि को असेसी की भूमि के साथ नहीं जोडा जा सकता। तलाकशुद्वा पत्नी को दी गई 20.10 बीधा भूमि को शामिल नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने असेसी की पत्नी, पुत्र द्वारा धारित भूमि को शामिल कर असेसी के पास निर्धारित तिथि को 71.17 बीघा भूमि मानी है तथा एक इकाई 43.04 बीघा भूमि रखने की अधिकारी मानी है। इस प्रकार यदि 71.17 बीघा भूमि भी मानी जाती है तो भी असेसी दो इकाई के बराबर भूमि रखने का अधिकारी होने से असेसी के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं रहती है। अतः अपील स्वीकार की जाकर कार्यवाही समाप्त की जावे।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि असेसी पूर्णसिंह के पास निर्धारित तिथि को 71.17 बीघा भूमि धारण में थी तथा उसका पुत्र बूटासिंह बालिग होना साबित नहीं कराया गया है। असेसी द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे बूटासिंह निर्धारित तिथि को बालिग होना साबित होता हो। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः यह अपील खारिज की जावे।

हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने असेसी मृतक पूर्णसिंह के पास निर्धारित तिथि 1.1.73 को 71.17 बीघा भूमि धारण में होना मानते हुए एक इकाई के बराबर 43.04 बीघा भूमि असेसी रखने का अधिकारी मानते हुए शेष 28.18 बीघा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक मानते हुए अधिग्रहण का आदेश दिया है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध भू अभिलेख निरीक्षक, जैतसर की रिपोर्ट दिनांक 29.8.85 जो कि तहसीलदार के प्रतिहस्ताक्षर से अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की गई है, दिनांक 17.2.69 को असेसी पूर्णसिंह की दोनों पत्नियों ने चक 11 जी.बी. में 6–6 बीघा जमीन खरीदी थी तथा दिनांक 21.4.72 को उक्त 12 बीघा जमीन पंजीकृत विक्रय पत्र से बेची है। चूंकि उक्त बेचान निर्धारित तिथि 1.1.73 से पूर्व का है तथा पंजीकृत विक्रय पत्र से किया गया है जिससे यह बेचान सदभावी होने से मान्यता दिये जाने योग्य है।

तहसीलदार की उक्त रिपोर्ट के अनुसार असेसी मृतक पूर्णसिंह के परिवार में निर्धारित तिथि 1.1.73 को 6 सदस्य थे तथा असेसी का पुत्र बूटासिंह 1.1.73 को 21 वर्ष का था। इस संबंध में असेसी की ओर से प्रस्तुत जन्म प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत 7 जी.बी. के अनुसार बूटासिंह की जन्म तिथि 5.6.1952 है। उक्त साक्ष्य एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार बूटासिंह निर्धारित तिथि को बालिग था। नये सीलिंग कानून के प्रावधानों के अनुसार असेसी के बालिग पुत्र अलग इकाई मानी जावेगी। इस प्रकार असेसी दो इकाई के बराबर भूमि धारण करने का अधिकारी है।

उक्तानुसार असेसी मृतक पूर्णसिंह दो इकाई के बराबर कुल 86 बीघा भूमि रखने का अधिकारी होने से असेसी द्वारा धारित कुल भूमि 71.17 बीघा है जो सीलिंग सीमा से कम है। जिससे हम यह अपील स्वीकार करना न्यायोचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील स्वीकार की जाती है एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर का निर्णय दिनांक 1.5.2003 निरस्त किया जाता है तथा यह सीलिंग कार्यवाही समाप्त की जाती है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(मोडूदान देथा)**
**सदस्य**